

08 $\frac{12}{22}$

पत्रावली पेश हुई। प्रियादी सं-२ असाबतन उपस्थित।
वादीगण श्री और से कोई उपस्थित नहीं होने पर
बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादीगण
एवं अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहे। वादीगण
एवं अधिवक्ता अपने दाय प्रस्टर वाद को आगे
पुकारने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण वादीगण
का वाद अप्रत दायरी एवं अदम केरवी में खारिज
किया जा रहा है। निर्णय आज दिनांक 08/12/2022
को अले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली केवल
सुमार होकर बाद लेख गणना है।

9
कावेरी

सुप जिला कलक्टर
लवाण

